

172

माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, म०प्र०.

निगरानी प्रकरण क्र०/ /015

निगरानी 979-11-15



Rs. 20/-

96
8-4-15

रमेश पिता मोतीलाल बसोर निवासी ग्राम तुर्कहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदक

क्रमांक 4974

आज प्राप्त

विरुद्ध

for Shri

01- सौखीलाल बसोर

दोनो के पिता बट्टी प्रसाद बसोर

कोर्ट

मिठाईलाल बसोर

दोनो निवासी ग्राम तुर्कहा, तह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावेदक

प्रो. दानवोरा द्वारा आज दिनांक 8-04-15 के प्रस्तुत किया गया।
सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तह० हुजूर, जिलारीवा दिनांक 28.02.015 जो प्रकरण क्र० 29-अ-70/02-03 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

101 यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन म०प्र०भू०रा०सं०हिता धारा 250 के प्रावधानों के अनुरूप न होना मानकर निरस्त करने से अधीनस्थ न्यायालयने एक गंभीर कानूनी भूल की है।

102 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि आवेदक ने इस आग्रह का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिया था कि आवेदक भूमिहीन है उसे आवास योजना के तहत म०प्र० शासन की भूमि ख०न०

रमेश बसोर

निरंतर.....


(Signature)

(172)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-979-तीक/15 जिला-रीवा

रमेश बंसोटा विरुद्ध सोखी लात बंसोटा

(1)	(2)	(3)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>दान वेड मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ मन्सब तहसीलदार / रजिस्टर निरीक्षक, तहसील <u>इचर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>29/178/22-03</u> में पारित आदेश दिनांक <u>28-2-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14-3-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	